कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक : स्थापना/गार्ड/2016/ 84 दिनांक : 01–07–2016

विज्ञप्ति

प्रतापगढ़ न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों में वर्तमान में निम्न प्रकार पद रिक्त हैं :–

1–	आशुलिपिक (हिन्दी)	– 2
2–	आशुलिपिक (अंग्रेजी)	– 1
3–	कनिष्ठ लिपिक	– 11
4–	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	– 12

उपरोक्त रिक्त पदों पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक G/IA-4(i)(a)55/16/3729 दिनांक 18–06–2016 के निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर निम्नानुसार संविदा सेवाएं ली जानी है :–

मंत्रालयिक संवर्ग (आशुलिपिक/ कनिष्ठ लिपिक) हेतु :–

1– न्याय विभाग से सेवानिवृत कर्मचारीगण तथा इनके उपलब्ध न होने की स्थिति मे राज्य सरकार क अन्य विभागों से सेवानिवृत कर्मचारीगण

2– राज्य सरकार के अन्य विभागों/PSUs से Deputation or Reverse Deputation पर आने के इच्छुक कर्मचारियों की सेवाएं।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु :–

1– न्याय विभाग से सेवानिवृत कर्मचारीगण तथा इनके उपलब्ध न होने की स्थिति मे राज्य सरकार क अन्य विभागों से सेवानिवृत कर्मचारीगण

2– राज्य सरकार के अन्य विभागों/PSUs से Deputation or Reverse Deputation पर उपलब्ध कर्मचारीगण की सेवाएं।

3– Rajasthan Ex Serviceman Corporation Ltd. (REXCO) के माध्यम से उपलब्ध कार्मिकों की सेवाएं।

4– होमगार्ड कार्मिकों की सेवाएं।

न्याय विभाग / राज्य सरकार से सेवानिवृत कार्मिकों जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, ऐसे इच्छुक सेवानिवृत कर्मचारीगण जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के कार्यालय से आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारुप प्राप्त कर निम्न दस्तावेजों की फोटो प्रतियां सहित नियत समयावधि मे आवेदन करें :–

1– सेवानिवृति के समय मूल वेतन बाबत् एल0पी0सी0
2– पी0पी0ओ0 आदेश
3– वेतन निर्धारण प्रमाण पत्र जिसमें ग्रेड–पे अंकित हो।

उक्त संवर्गों की सेवाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन रहेंगी एवं पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसारा देय होगा।

Deputation or Reverse Deutation पर आने वाले कर्मचारीगण अपने विभाग के माध्यम से आवेदन करें जिसके साथ उनके विरुद्व प्राथमिक / विभागीय जांच नहीं होने बाबत् कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आवश्यक रुप से संलग्न करें।

अतः सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित रिक्त पदों पर संविदा सेवाएं देने वाले इच्छुक व्यक्ति दिनांक 16–07–2016 को कार्यालय समय तक इस कार्यालय मे अपना आवेदन पत्र पूर्ण रुप से भरकर प्रस्तुत करें, इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

Sd
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमशः

क्रमांक : 1399 to 1450 दिनांक : 01–07–2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

2– माननीय रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

3– श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश

4– जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ को समस्त विभागों / PSUs मे सूचित करने हेतु।

5– प्रतापगढ़ न्यायक्षैत्र के समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु सम्बन्धित न्यायालय ....

6– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, प्रतापगढ़ को अखबार मे साया हेतु।

7– सिस्टम ऑफिसर अदालत हाजा को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

8– गार्ड पत्रावली / सम्बधित पत्रावली / नोटिस बोर्ड अदालत हाजा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
प्रतापगढ़ (राज.)

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ (राज.)

राज्य सरकार से सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों के सम्बन्ध मे संविदा, पुर्ननियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारुप

1. सेवानिवृत कर्मचारी का नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. जन्मतिथी ....
4. पता ....
....
....
5. आयु (दिनांक 16–07–2016 को) ....वर्ष......................माह.........................दिन
6. अर्हताएं ....
....
7. मूल विभाग का नाम ....
8. सेवानिवृत के पूर्व धारित पद ....
9. अनुभव ....
10. सेवानिवृति के समय मूल वेतन ....
(रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड़ पे)
(एल.पी.सी. संलग्न है)
11. मूल पेंशन राशि ....
(पीपीओ प्रति संलग्न है)
12. धारित पद का वेतनमान ....
(सेवानिवृति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र
(संलग्नानुसार)

सेवानिवृत अधिकारी / कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों / निर्देशों मे दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृति के पश्चात् राज्य सरकार मे संविदात्मक पुर्ननियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत हैं और वचन देता हैं।

स्थान :
दिनांक :

सेवानिवृत अधिकारी / कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारुप में बिन्दू सं. 1 से 10 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी..जो सेवानिवृति से पूर्व.......................... ....पद पर विभाग मे कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग मे उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती...की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार मे संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृति के समय, श्री/श्रीमती................................. ....रु. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड़ पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती ....अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने परा सेवानिवृत हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती...के विरुद्व कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्व ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील